Topic: Administration of Delhi Sultanate - Iqta System and Provincial System.

इक्ता व्यवस्था तथा प्रांतीय प्रशासन

तुर्की शासकों ने अपने अमीरों को नकद वेतन के स्थान पर राजस्व अधिकार का आवंटन किया (इक्ता) जिससे राज्य को सुदृढ़ किया जा सके। जिन व्यक्तियों को यह अधिकार दिया गया, उन्हें मुक्ती या वली कहा जाता था। वे इक्ता से कर वसूल करके अपने सैनिकों को वेतन देते थे तथा स्वयं अपने खर्च के लिए एक निश्चित राशि ले लेते थे। बचे हुए अतिरिक्त राजस्व (फवाजिल) को केन्द्र सरकार को भेज देते थे। इक्तादारों का भूमि पर अधिकार नहीं होता था, तथा प्रत्येक तीन-चार वर्ष के अन्तराल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें स्थानांतरण किया जाता था। इस प्रकार इक्ता एक हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। यह अनुदान वंशानुगत भी नहीं था। लेकिन फिरोजशाह तुगलक के शासन काल में इक्तादारों ने वंशानुगत अधिकार अर्जित कर लिये थे।

अमीरों या खलीनों को दिये गये इक्ताओं में इक्तादारों को राजस्व वसूलने के अतिरिक्त सैनिक तथा कानून और व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी निभाना होता था। इस प्रकार मुक्ती या वली जिसे इक्ता प्रदान किया जाता था, वह प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख होता था।

मुहम्मद तुगलक के समय में मुक्ती तथा वली के हाथ से कुछ वित्तीय अधिकार वापस लेकर केन्द्रीय अधिकारियों को दे दिये गये। उसने यह भी आदेश दिया कि इक्ता-धारकों का दीवान-ए-विजारत से वेतन दिया जाय ताकि वह खेल-कपट न कर सके।

वित्तीय मामलों में वली को साहिबे दीवान अथवा ख्वाजा सहायता करते थे। ख्वाजा वली तथा मुक्ता से स्वतंत्र थे तथा अपना हिसाब रखते थे। मुतशरीफ तथा कारकून ख्वाजा को वित्तीय मामलों में सहायता देते थे। इसके अतिरिक्त प्रांतीय

Contd...

शासक के अधीन प्रांतीय वजीर, प्रान्तीय आरिज तथा काजी होते थे।

प्रांतपति प्रान्तीय सेना का सेनापति होते थे तथा आवश्यकतानुसार केन्द्र में सेना भेजते थे।

सल्तनत के विस्तार के कारण प्रांतों को जिला में बांट दिया गया था, जो 'शिक' कहलाता था। शिक का प्रधान 'शिकदार' कहलाता था।

Continue ...

Dr. M. Paswan - History.